<u>अत्यन्त महत्वपूर्ण/उच्च प्राथमिकता</u>

परिपत्र संख्याः 42 /मा0अनु0

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनॉक 01 दिसम्बर, 2015

विषयः- <u>कारागारों में निरूद्ध बंदियों के मानवाधिकार का संरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

आप भली-भॉति अवगत हैं कि, यह एक सुस्थापित विधिक तथ्य है कि मात्र कारागार में निरूद्ध होने के कारण कोई व्यक्ति अपने मानवाधिकारों को नहीं खो देता है। बन्दी भी समाज के अन्य किसी भी व्यक्ति की तरह मानव है, जिनके संवैधानिक एवं मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाना कारागार प्रशासन का सर्वोपरि एवं प्राथमिक दायित्व है।

इस सम्बन्ध में समय-समय पर पूर्व में भी निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं, परन्तु विभिन्न न्यायिक, प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के निरीक्षणों तथा बन्दियों, उनके परिजनों तथा आम जनता से प्राप्त फीड-बैक के आधार पर यह तथ्य संज्ञान में आये हैं कि कारागारों में बन्दियों के मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति असंवेदनशीलता की स्थिति है, कतिपय कारागारों में बन्दियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रकरण संज्ञान में आये हैं।

उपरोक्त स्थिति कदापि उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के मानवाधिकारों को पूर्णतः संरक्षित किया जाये।

अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में बन्दियों का शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण/उत्पीड़न न होने पाये। बन्दियों का किसी भी अन्य दबंग बन्दी अथवा कारागार कार्मिकों द्वारा किसी प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक शोषण न किया जाये और न ही कारागार में बन्दियों के प्रति अनावश्यक हिंसा का प्रयोग किया जाये। बन्दियों के साथ धर्म, जाति, क्षेत्र विशेष के आधार पर किसी प्रकार का भेद-भाव न किया जाये।

अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधीक्षक नियमित रूप से कारागार के भीतर स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर स्वच्छ वातावरण बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। कारागार में प्रवेश के समय बन्दियों का स्वास्थ्य परीक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्देशित प्रारूप पर गम्भीरता पूर्वक किया जाय न कि खाना-पूर्ति तौर पर कारागार के चिकित्सक यह सुनिश्चित

करेंगे कि उक्त प्रारूप के प्रत्येक बिन्दु पर अपेक्षित जॉच कर प्रविष्टि अंकित की जाय, ताकि प्रवेश के समय ही बन्दी के स्वास्थ्य की स्थिति का सही-सही आंकलन कर उसको आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सके। अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक नियमित रूप से उक्त प्रारूपों की जॉच व समीक्षा सुनिश्चित करें।

बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों को सुलभ कराने, परिजनों से मुलाकात किये जाने तथा पत्र लिखे जाने का समुचित एवं समान अवसर प्रदान किया जाये।

बन्दियों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापरक भोजन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है तथा बन्दियों हेतु पीने के पानी की स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाये।

कारागारों में निरूद्ध बन्दियो के मानवाधिकारों के उल्लंघनों के प्रति विभाग एवं शासन Zero Tolrance की नीति मूल भावना में लागू हों।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिपत्र पृष्ठांकन संख्या /मा0अनु0 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि, समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनके द्वारा कारागारों के निरीक्षण के समय उक्त निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कारागार स्तर पर उक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।